बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0 संख्या–02/कोर्ट केस–14/2017 पटना, दिनांक–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर Contempt Petition (C) 1787/2017, अजय शर्मा बनाम ब्रजेश मेहरोत्रा एवं अन्य में दिनांक–01.05.2018 को पारित आदेश में पुराने वाहनों में HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है एवं पुराने वाहनों पर HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) नही लगे होने की स्थिति में दंड का प्रावधान किये जाने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त निदेश के आलोक में HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगाना अनिवार्य है। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में वाहनस्वामियों के लिए प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जा चुकी है।

पुनः इस आदेश के माध्यम से वाहन स्वामियों को निदेश दिया जा रहा है कि अपने–अपने वाहनों में 31 जुलाई, 2018 तक HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगवाना सुनिश्चित करें अन्यथा मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 177–सह– पठित धारा–179 के अधीन यह दंडनीय अपराध होगा एवं भविष्य में यह दंड सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/कोर्ट केस–14/2017 3428 पटना, दिनांक– 23/5/18

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.05.18
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0 संख्या–02/कोर्ट केस–14/'2017 **पटना, दिनांक–**

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर Contempt Petition (C) 1787/2017, अजय शर्मा बनाम ब्रजेश मेहरोत्रा एवं अन्य में दिनांक -01.05.2018 को पारित आदेश में पुराने वाहनों में HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है एवं पुराने वाहनों पर HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) नही लगे होने की स्थिति में दंड का प्रावधान किये जाने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त निदेश के आलोक में HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगाना अनिवार्य है। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में वाहनस्वामियों के लिए प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जा चुकी है।

पुनः इस आदेश के माध्यम से वाहन स्वामियों को निदेश दिया जा रहा है कि अपने–अपने वाहनों में 31 जुलाई, 2018 तक HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगवाना सुनिश्चित करें अन्यथा मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 177–सह– पठित धारा–179 के अधीन यह दंडनीय अपराध होगा एवं भविष्य में यह दंड सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/कोर्ट केस–14/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/कोर्ट केस–14/2017 3428 पटना, दिनांक– 23/5/18

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसका प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि वाहन स्वामियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो सके ।

23/5/18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0 संख्या–02/कोर्ट केस–14/2017 पटना, दिनांक–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर Contempt Petition (C) 1787/2017, अजय शर्मा बनाम ब्रजेश मेहरोत्रा एवं अन्य में दिनांक–01.05.2018 को पारित आदेश में पुराने वाहनों में HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है एवं पुराने वाहनों पर HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) नही लगे होने की स्थिति में दंड का प्रावधान किये जाने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त निदेश के आलोक में HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगाना अनिवार्य है। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में वाहनस्वामियों के लिए प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जा चुकी है।

पुनः इस आदेश के माध्यम से वाहन स्वामियों को निदेश दिया जा रहा है कि अपने–अपने वाहनों में 31 जुलाई, 2018 तक HSRP (उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका) लगवाना सुनिश्चित करें अन्यथा मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 177–सह– पठित धारा–179 के अधीन यह दंडनीय अपराध होगा एवं भविष्य में यह दंड सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/कोर्ट केस–14/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/कोर्ट केस–14/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसका प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि वाहन स्वामियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो सके ।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/कोर्ट केस–14/2017 3428 पटना, दिनांक– 23/5/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–3661, दिनांक–14.05.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

22.05.18
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।